The Railways (Amendment) Bill, 2024 (Introduced)

माननीय सभापति **:** आइटम नम्बर-13, श्री अश्विनी वैष्णव जी ।

रेल मंत्री**;** सूचना और प्रसारण मंत्री**;** तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री **(**श्री अश्विनी वैष्णव**) :** सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रो**.** सौगत राय **:** सभापति महोदया, मैं रेल संशोधन विधेयक, 2024 का विरोध करता हूँ। मंत्री जी ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में बताया है कि the functioning and independence of the Railway Board will be enhanced with this Bill. All the provisions of the Indian Railway Board Act, 1905 are proposed to be incorporated in the Bill. अभी तक 1989 का एक बिल है । It is not a very old Bill. Originally, as you have mentioned, Railways was separated from PWD. Then the Railway Board was set up. May I represent to you, hon. Chairman, that the Railway Board was bureaucracy? That can happen. It is inflexible. It is unable to take timely decision. It is unable to give relief to the people of this country. The Railway Minister, instead of bringing unnecessary bills which have functioned for a long time, should give attention to the railway accidents. He himself was present when the railway accident took place in Balasore. He was present again when the Kanchanjunga Express rammed into a station. The whole question is, what is the railway doing about safety of railway passengers? The Railway Minister has introduced Vande Bharat Train. It is good. They take you fast. When I oppose something, I can bring all the points. ? (*Interruptions*) Your Railway Board has failed to control accidents. इसे ज्यादा पावर देने से क्या होगा?? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय रेल मंत्री जी ।

श्री अश्विनी वैष्णव **:** सभापति जी, मुझे लगता है कि प्रो. सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसलिए कोई भी सुपरफ्लूअस ऑब्जेक्शन लाना इनकी मजबूरी है । इनके पास कोई काम नहीं होगा । आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें कि ज्यादा काम लाएं ।

 अब मैं विषय पर आता हूँ कि इस संशोधन विधेयक लाने की जरूरत क्यों है । जैसा आप सभी जानते हैं कि रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूज हुई, तब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी। रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ । जब रेलवे का विस्तार बढ़ा, तो जरूरत महसूस हुई कि इसमें अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए । इसलिए वर्ष 1905 में जब बहुत सारे प्रिंस्ली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तब एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई । रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टेच्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आकर एक एग्जिक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आयी । इसकी जरूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कम्पैरिजन में रेलवे अलग तरह का डिपार्टमेंट है । यह एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है । दूसरा, इसमें नेटवर्क इफेक्ट होता है । तीन अलग-अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, आज भी यह प्रश्न आता है और माननीय सांसद कई बार यह प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए एक जगह से रेल में सामान चढ़ा और दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है तो जो भी सामान चढ़ा रहा है, वह सारे का सारा ओरिजनेटिंग स्टेशन पर देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए, उन रेलवे सिस्टम की भी जरूरत होती है, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है । फिर सेम डायमेंशन्स होने चाहिए । सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए । रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए । इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था । जब इंडियन रेलेवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके वर्ष 1989 में नया कानून आया, उसमें एक कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टेट्यूटरी पावर देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पाए थे । उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए एग्जिक्यूटिव आर्डर के साथ लिंक रखा था, लेकिन यह एक कमी थी, जिसे इस बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है । इससे रेलवे बोर्ड की कम्प्लीट पावर्स एनहांस होंगी और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी ।

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है :

?कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

श्री अश्विनी वैष्णव **:** सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुर:स्थापित*** करता हूँ ।

<u>12.30 hrs</u>